

समस्त आहरण वितरण अधिकारी

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन के पत्र संख्या-बी-315099/2/2024-7/दस-2024 दिनांक 14.05.2024 द्वारा भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है , जिसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को वितरित किया जाना है ।

जिन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम की आवश्यकता है उनका प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 14.09.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा सके । उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व में प्रथम किस्त के रूप अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वह द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए उक्त तिथि तक शासन के पक्ष में भूमि का बंधक कराकर बंधक पत्र उपलब्ध करा दे जिस पर सम्यक विचार किया जा सके ।

(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पू0प0स0वदिनांकउक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2/ राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0)राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, को वेबसाइट पर अपलोड कराने के लिए ।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्र संख्या-बी-1-68-बजट भवन मरम्मत/विस्तार//

280 //राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक : 28 अगस्त, 2024

समस्त आहरण वितरण अधिकारी

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन के पत्र संख्या-बी-315099/2/2024-7/दस-2024 दिनांक 14.05.2024 द्वारा भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है , जिसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को वितरित किया जाना है ।

जिन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम की आवश्यकता है उनका प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 14.09.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा सके । उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व में प्रथम किस्त के रूप अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वह द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए उक्त तिथि तक शासन के पक्ष में भूमि का बंधक कराकर बंधक पत्र उपलब्ध करा दे जिस पर सम्यक विचार किया जा सके ।

(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0प0स0वदिनांकउक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2/ राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0)राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, को वेबसाइट पर अपलोड कराने के लिए ।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

गृह निर्माण/मरम्मत अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र ::

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. घर का स्थायी पता.....
4. स्थाई पद अथवा मौलिक नियुक्ति.....
 - (क) मूल वेतन.....
 - (ख) स्थानापन्न वेतन.....
 - (ग) विशेष वेतन.....
 - (घ) छोटे सहित भात्ते.....
5. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि.....
 - (क) भूमि खरीदने के लिए.....
 - (ख) मकान खरीदने के लिए.....
 - (ग) मकान और स्लैबन भूमि खरीदने के लिए.....
 - (घ) खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिए.....
 - (ङ) मकान फिर से बनवाने के लिए.....
 - (च) पिछली बार अग्रिम की धनराशि से खनाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत/विस्तार के लिए.....
6. खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान.....
7. यह सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या विवरण परमाणा-पत्र है। उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्विवाद स्वामित्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास बंधक रखने में कोई बाधा न पड़ेगी।
8. अग्रिम की धनराशि किन-किन किस्तों में चाहिए और प्रत्येक किस्त की कत तक पूर्ण स्थिति में उपभोग कर लिए जाने की सम्भावना है।
9. मकान के निर्माण क्रय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा.....
10. किसी ऐसे अन्य मकान का विवरण दीजिए जिसमें आप स्वामी या हिस्सेदार हैं। उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताएं।
11. यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या उसकी मरम्मत हत्यादि कराने के लिए आपने इन निर्माण के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।
12. किसी मकान को खरीदने, बनवाने मरम्मत करने या उसे फिर से बनवाने के लिए अनिर्णय निधि से लिए गये स्थाई प्रत्याहरण प्रमाणन विज्ञापन का पूरा पूरा विवरण दीजिए।
13. जन्मतिथि का दिनांक.....
14. (क) सामान्यतः आप कब सेवागिवृत्त होंगे.....
(ख) क्या आपका विचार इससे पहले से 0 नो होने का है।
15. पसूली कब से और किस दर से होनी चाहिए.....
16. क्या आपकी पत्नी/आपके प्रति राज्य सरकार कर्मचारी है ० यदि हाँ तो.....
 - (क) उसका नाम पदनाम तथा कार्यालय का पता.....

अंकित करें।

858 यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्नि के लिए आवेदन पत्र दिया हो और/या अग्नि लिया गया हो तो निम्नलिखित विवरण दीजिए।

859 आवेदन पत्र देने की तिथि

860 लिये गये अग्नि का प्रयोजन

861 अग्नि से खरीदे गये/बनाये गये/समरपत्र कराये गये भवन का विवरण जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य करें।

17- क्या आपने या उसकी पत्नी या उसके पति ने अपनी ओर से किसी आवश्यक बच्चे की ओर से किसी अन्य स्त्रोत/स्थान से गृह निर्माण अग्नि/ग्रन्थ हेतु प्रार्थना पत्र दिया है या कोई रूप/अग्नि प्राप्त किया यदि हा तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

घोषणा-पत्र

1. मैं/सहकारिता से गृह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न पदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है सही है।
2. मैंने मकान बनवाने आदि के लिए राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्नि को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।
3. जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्नि के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति/आवश्यक बच्चे उस नगर/सगर टाउन/अरबन सग्लोमरेशन में जहाँ सरकार से अग्नि लेकर मकान बनाया जाता अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

विभाग/कार्यालय.....

जिसमें वह नियुक्ति हो.....

1. निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश।
 2. क्रम संख्या - 1 से 4 वा 13 तथा 14 अभिलेखों से प्रमाणित
 3. संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम-मुहर सहित
- नोट:- जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।